



# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट -01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला -गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

Website:- [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in)

पत्रांक :- 33526/ वित्त / 2017-18

ग्रे०नौ०: दिनांक :- 19 जुलाई, 2017

सेवा में,

महाप्रबन्धक (नियोजन/उद्यान),  
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति-आवासीय),  
महाप्रबन्धक (परियोजना-के०/आर०),  
उप महाप्रबन्धक (उद्योग/अर्बन सर्विस),  
प्रभारी (बिल्डर्स/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत/  
आई०टी०/उद्योग/व्यावसायिक),  
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण ।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि 01 जुलाई, 2017 से सेवाओं एवं वस्तुओं पर जी०एस०टी० लागू हो चुका है, प्राधिकरण द्वारा आवंटियों से समय-समय पर विभिन्न दरों में देय धनराशि की प्राप्ति की जा रही है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि जी०एस०टी० एक्ट-2017 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियों पर जी०एस०टी० की धनराशि (@ 18%) प्राप्त की जानी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

Sr. No.	Name of Receipt Head	SAC Code	Rate of GST
1.	Lease Rent (Housing/Residential/Group Housing)	997211	18%
2.	Lease Rent (Industrial/Institutional/Commercial)	997212	18%
3.	Rent from Commercial Property	997212	18%
4.	Document Charges	999799	18%
5.	Processing Fees	999799	18%
6.	Time Extension Charges	999799	18%
7.	Transfer Charges	999799	18%
8.	Penalty	999799	18%
9.	Rent Permission Charges	999799	18%
10.	Forfeiture Charges	999799	18%
11.	Water Charges	996921	18%
12.	Water Connection Charges	998633	18%
13.	Sewer Charges	999411	18%
14.	Building Plan fees	998325	18%
15.	Road Cutting Charges	998325	18%
16.	Restoration Fees	999799	18%
17.	Parking Charges/ Park Booking	996743	18%
18.	Sale of Form/Tender/other	999799	18%
19.	Penal Interest from Allottees	999799	18%

अतः कृपया आवंटियों से उपरोक्त मदों में प्राप्त होने वाली धनराशियों पर निर्धारित जी०एस०टी० की वसूली करना सुनिश्चित करें।

(स्वतंत्र कुमार)

उप महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जे०/टी०) एवं विशेष कार्याधिकारी (वी०) को सूचनार्थ ।
3. श्री पदम सिंह, प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से कि कृपया उक्त सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराये ताकि आवंटी भी उक्तानुसार सूचित हो सके।

उप महाप्रबन्धक (वित्त)